MPHIN/2004/16741 डाक पंजीयन क्रमांक : आयडीसी/डिवीजन/1159/2013-15

प्रधान कार्यालय : 210, प्रेम प्लाजा, 5-6, अशोक नगर, भंवरकुंआ मेनरोड़, इन्दौर (म.प्र.) भारत
फोन : 0731-2760809, फैक्स : 0731-2760809 -9425311665
Email: mukeshthakur.ab@gmail.com

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

अग्नि ब्लास्ट

दबंगता, साहस, आध्यात्मिक व सच्ची खबरों की पत्रकारिता

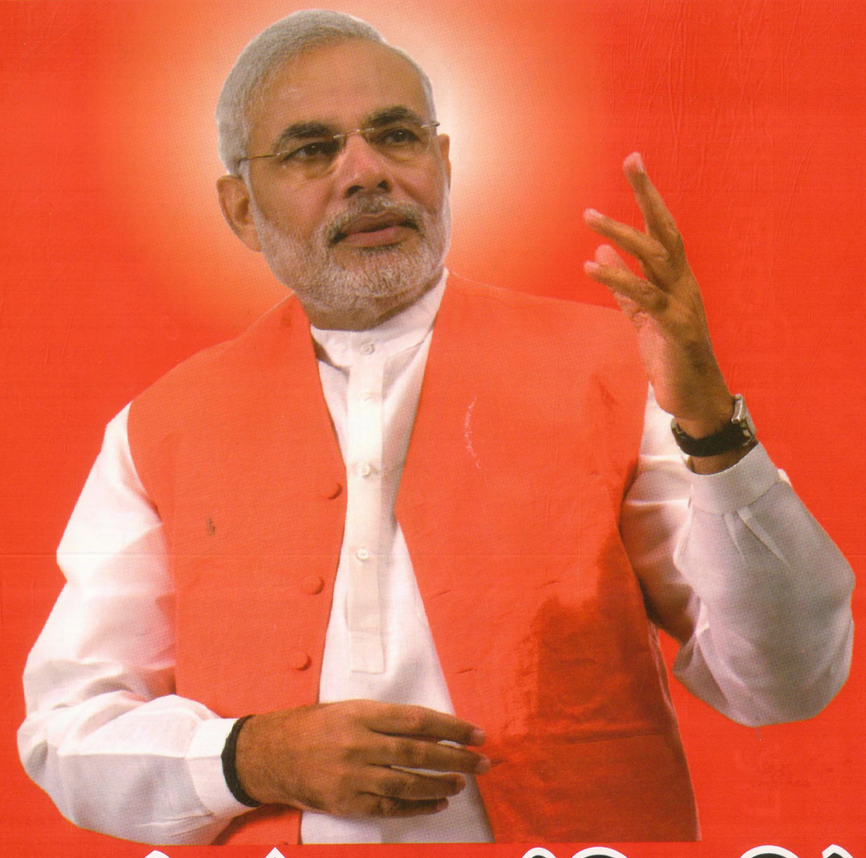

देश को संभाल लीजिए विदेश अपने आप संभल जाएगा

10 मई 2015 | Visit us at : www.agniblast.com | ₹25/-

पुलिस हमारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा

संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना में स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया जो व्यक्ति की गरिमा और बंधुता बढ़ाने के लिए एक आधार होगा। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। यहां सरकार अपना काम करती है, न्याय पालिका अपना काम, जिसमें लगातार न्यायपालिका का कार्य कैसे अच्छा हो व पीड़ित को न्याय मिल सके इस पर अदालतों के न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं, व व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझाव भी दे रहे हैं। परन्तु सबसे पहले यह कार्य पुलिस के द्वारा शुरू होता है। पुलिस हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है व रात दिन काम करती है, और जनसंख्या के मुकाबले पर्याप्त बल न होने की समस्या से जूझ रही है।

जरा सोचिये कानून की जानकारी न होना आम बात है। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब आपको कैसा लगता है? पुलिस पर पड़ने वाले राजनैतिक दबाव आम बात होते जा रहे हैं। कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कितने मानसिक दबाव में कार्य करते हैं इसका अंदाजा अभी पिछले दिनों में पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की अचानक आत्महत्या की कोशिश से लगाया जा सकता है। छोटे पुलिस थानों में हर छोटी-छोटी अपराधिक घटना में विधायक की तरफ से आने वाला दबाव से शायद ही कोई थाना प्रभारी बच पाया हो। परन्तु इन सब मुसीबतों के बाद भी पुलिस को अपना कार्य करना है। कुछ समय पहले पुलिस विभाग में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर चर्चा हुई परन्तु यह चर्चा सिर्फ चर्चा बनकर रह गयी। क्योंकि कुछ राजनैतिक व आईएएस लॉबी नहीं चाहती कि पुलिस हमारे हाथों से निकल जाये, जबकि मुम्बई, दिल्ली, पुणे में काफी पहले कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गयी। राजस्थान में जयपुर, जौधपुर, कलकत्ता, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र यहां तक कि हिमाचल राज्यों में कमिश्नर प्रणाली लागू है। फिर मध्यप्रदेश में क्यों नहीं? सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मांग को दर किनार किया जा रहा है। जबकि महानगरों में इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कमिश्नर प्रणाली मध्यप्रदेश में लागू होना चाहिए। इसके बाबजूद समय समय पर पुलिस पर सही तरीके से कार्य न करने व भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं क्या दूसरे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार नहीं होता? भ्रष्टाचार को दूर करने में कहीं न कहीं सरकार नाकाम रही है। इन सब परिस्थितियों के बाबजूद अपराध, व न्याय कैसे मिले यह जानना जरूरी है।

वर्तमान परिवेश एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये सभी पाठको एंव नागरिको को अपराध क्या होता है। अपराध के कितने प्रकार होते है, अपराध किन परिस्थितियों मे गठित होता है, अपराधी कितने प्रकार के होते है, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है, कैश डायरी क्या होती है, चालान पेश करने के पूर्व अनुसंधान अधिकारी को किन किन बातो पर ध्यान देना चाहिये अपराधी के छुटने के प्रमुख कारण क्या होते है , यदि पुलिस तत्परता से कार्य नही करती तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है। एवं यदि किसी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य है वर्तमान समय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों को क्या निर्देश दिये गये है इस संदर्भ में हमारे संवाददाता द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय जबलपुर में पैरवी करने वाले जाने माने अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर से एक विशेष परिचर्चा की गई जिसकी जानकारी होना सभी पाठको एंव आम जनता को होना आवश्यक है अब प्रस्तुत है परिचर्चा के कुछ अंश

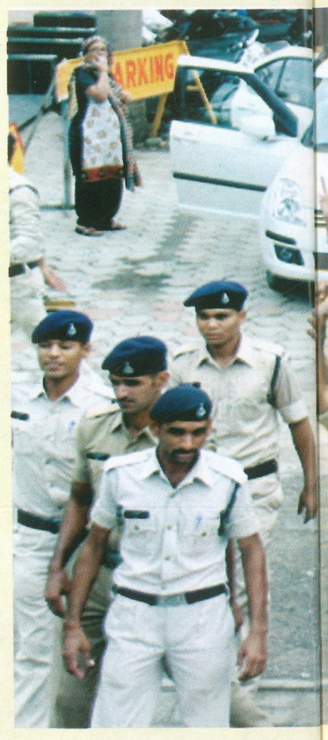

प्र. अपराध क्या है ?

उ. अपराध एक सीखा हुआ मानव व्यवहार है , जो विधि विरूद्व होता है। प्रारम्भ में अपराध करते समय अपराधियों मे साहस और धैर्य की कमी होती है तथा भय के कारण उनके आरम्भिक अपराध सुनियोजित नही होते है। मनुष्य में अपराधिकता आरम्भ होने के अनेक कारण है- (1) आवेश के कारण (2) आवश्यकता की पूर्ति न होना (3) असफलता के कारण (4) निराशा , ईर्ष्या (5) संगति (6) बदला लेने की भावना (7) कुख्याति प्राप्ति की भावना (8) आधुनिक फैशन का प्रभाव (9) मानसिक स्थिति का अच्छा न होना (10) स्थान विषेष की भौगोलिक स्थिति के कारण (11) मूल्यों मे वृद्वि के कारण (12) बेरोजगारी (13) मद्यपान (14) आवारगर्दी (15) कुरूपता (16) घरेलू वातावरण (17) हीनता (18) संरक्षण का अभाव (19) आर्थिक कारण।

प्र. अपराध कितने प्रकार के होते है?

उ. मुलत: ये पांच प्रकार के होते हैं। (1) व्यक्ति के विरूद्व (2) सम्पत्ति के विरूद्व (3) राज्य के विरूद्व (4) व्यवस्था के विरूद्व (5) न्याय के विरूद्व अपराध साधारणतया: उपरोक्त भागो मे बॉटे गये है। गम्भीर एवं साधारण अपराध इन अपराधों की विशेषताएं हैं।

प्र. अपराधी कितने प्रकार के होते है?

उ. संक्षेप मे अपराधियों को निम्न श्रेणी मे बॉटा गया है

(1) नव अपराधी (2) स्थानिक अपराधी (3) रूढ़िवादी अपराधी (4) जन्मजात अपराधी (5) कामुक अपराधी (6) महिला अपराधी (7) बाल एंव किशोर अपराधी (8) मनोविक्षिप्त अपराधी (9) अभ्यस्त अपराधी (10) सफेदपोश (11) व्यवसायिक अपराधी

प्र. प्रथम सूचना एफआईआर क्या है?

उ. अपराध के घटित होने के बाद प्रथम चरण मे दी जाती है इसलिये इसे प्रथम सूचना कहते है। इस सूचना से पुलिस अधिकारी को अपराध पंजीयन तथा अनुसंधान के अधिकार प्राप्त होते है। यह सूचना केवल प्रसंगेय अपराधो की ही होती है जो धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेख की जाती है। इसे पंजीबद्व करने के लिये एक अलग से रजिस्टर होता है जो प्रथम सूचना रजिस्टर कहलाता है।

प्र. यह सूचना कौन दे सकता है?

उ. जिस पर अपराध घटित हुआ हो, जिसने घटना देखी हो , जिसको सूचनाकर्ता ने भेजा हो , ग्राम चौकीदार पटेल , पुलिस अधिकारी , एंव अपराधी स्वयं।

प्र. केस डायरी क्या कहलाती है। एवं इसका क्या महत्व है?

उ. धारा 172 दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत केस डायरी लिखने का प्रावधान है। अपराध कायमी की नकल से केस डायरी प्रारंभ करते है जो परचा नंगर 1 कहलाता है। यह केस डायरी दो प्रतियों मे लिखी जाती है। प्रत्येंक दिन की कार्यवाही का परचा अलग-अलग होता है। दिन भर की कार्यवाही डायरी में रात को एकांत में लिखी जाती है। कार्बन परचा पुलिस अधीक्षक को भेज दिया जाता है।

साधारणतया: निम्न बातें लिखते है-

- प्रथम सूचना की नकल
- घटना स्थल को तफतीश हेतु कब रवाना हुए
- घटना स्थल पर कब पहुंचे
- निरीक्षण घटना स्थल किसके बताने पर किया व किन साक्षियों के समक्ष
- घटना स्थल के हालात
- किन-किन व्यक्तियों से अपराध के संबंध मे पूछा गया उनके नाम पते- उनका संक्षिप्त कथन
- किन-किन ग्रामों में माल मुलजिम की तलाश की गई
- अपराध हुआ है या नही
- यदि हुआ है तो किनके द्वार मुकामी है या बाहरी
- अपराधियो ने स्थल को कैसे जाना
- जो माल जप्त किया गया उसका विवरण किससे व कहां
- घटना स्थल पर क्या कोई पदचिन्ह , अगुंल चिन्ह मिले
- उनका परीक्षण करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट
- मौके पर छायाकार , कुत्ता व अन्य विशेषज्ञ की सहायता ली गई तो उसका खुलासा
- किस मुलजिम की गिरफ्तारी कब व कहॉ की गई , पूर्ण विवरण
- जमानत पर छोड़ा गया तो उसका विवरण या थाना लाया गया
- हवालात बंद करने की रिपोर्ट
- अपराधी का रिमाण्ड पर भेजने की रिपोर्ट
- पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया या जुडीर्शियल रिमाण्ड व क्यों
- अगर किसी का मेडीकल परीक्षण कराया गया हो तो उसका पूर्ण विवरण , चोटे किस प्रकार आई है उनका भी खुलासा
- वरिष्ठ अधिकारियों ने कब सुपरवीजन किया तथा क्या-क्या हिदायतें दी है वे कब -कब तामीली की गई
- पहचान कार्यवाही पुरूष अथवा माल की रिपोर्ट
- खात्मा , खारजी , चालानी कार्यवाही की रिपोर्ट
- जब -जब किसी अपराध में कोई कार्यवाही की जावेगी उसका परचा डायरी में लेख किया जावेगा
- पुन: विवेचना में ले जाने की रिपोर्ट
- चालान के साथ कौन-कौन से पत्रक अदालत भेजे जा रहे है व कौन- कौन सा माल चालान के साथ अदालत भेजा जा रहा है उसका भी खुलासा करेगे।
- कौन - कौन गवाह क्या -क्या साक्ष्य देगा इसका भी ब्रीफ डायरी मे बनाया जावेगा।

महत्व

- अदालत द्वारा जांच तथा विचारण

अपराध के समय केस डायरी देखी जा सकती है।

- रिमाण्ड स्वीकार के समय जमानत दिये जाने के समय अदालत डायरी देख सकते है।
- अधिकारीगण डायरी को देखकर अपराध की प्रगति को देखते है तथा ये भी देखते है कि इनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शन कहां तक अनुसंधानकर्ता ने पालन किये है।
- साक्षी को विपरीत घोषित किये जाने पर अदालत इसे देख सकती है।
- 159 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्षी अपनी साक्ष्य के दौरान याददाश्त ताजा कर सकता है।
- अपराधी भी उस भाग को जितने भाग को साक्षी अनुसन्धानकर्ता देखता है देख सकता है।
- पूर्व जमानत के प्रकरणों में भी डायरी अदालत के समीप प्रस्तुत करना होता है।

प्र. प्रत्येक पुलिस थाने में अपराध संबंधी कितने रजिस्टर होते है?

उ. अपराध संबंधी रजिस्टर

- प्रथम सूचना रजिस्टर
- रोजनामचा आम
- जरायम रजिस्टर
- ग्राम अपराध पुस्तिका
- केस डायरी
- हिस्ट्रीशीट
- जप्त शुदा सम्पत्ति का रजिस्टर
- गिरफ्तारी का रजिस्टर
- भागे हुए एवं उदघोषित अपराधियों का रजिस्टर
- अचानक अप्राकृतिक मृत्यु का रजिस्टर
- जन्म-मरण सांख्याकि रजिस्टर
- गुमे हुये पशुओं का रजिस्टर
- अपराधिक वर्गीकरण रजिस्टर
- अपराध वर्गीकरण रजिस्टर
- अदम दस्तन्दाजी अपराधों की रिर्पोट का रजिस्टर

प्र. यदि किसी प्रसंगिक अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी की दी जाती है तो उसका क्या कर्तव्य है?

उ. पुलिस अधिकारी को तत्काल उस पर प्रथम सूचना रिर्पोट लिखनी चाहिये इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ललिता कुमारी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य में यही न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

प्र. यदि कोई पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिर्पोट लिखन के बाद या उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का सही पालन नही किया जाता है तो उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही का प्रावधान है?

उ. हां यदि वह ऐसा करते है तो वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन के विभिन्न प्रावधानों एंव पुलिस रैंग्युलेशन के पेरा 62 (अ) एंव 64 (2) की अवहेलना है जिसमे उनकी सर्विस तक जा सकती है।

प्र. क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसंधान अधिकारी को अपराध की विवेचना के संदर्भ में किसी प्रकार के दिशा-निर्देश दिये गये है?

उ. हां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अरनेस कुमार विरूद्ध बिहार राज्य में यह कहा है जो इस प्रकार है।

दंड प्रकिया संहिता 1973 धारा 41 और 41-क-धारा 41 और 41-क, दं, प्र, सं. के सम्यक पालन हेतु जिससे कि पुलिस अधिकारीगण अनावश्यक रूप से अभियुक्त को गिरफ्तार नही करें और मजिस्ट्रेट यंत्रवत और अप्रासंगिक रूप से निरोध अधिकृत नहीं करे उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पद 14 में अंकित किये गये निर्देश दिये-आगे यह स्पष्ट किया गया कि उन निर्देषों के अपालन करने पर संबंधित पुलिस अधिकारीगण विभागीय कार्यवाही के पात्र होंगे और साथ वे न्यायालय की अवमानना के लिये उच्च न्यायालय में जवाबदार होंगे - यह भी निदेषित किया गया कि न्यायिक की अवमानना के लिय उच्च न्यायालय में नही करते हैं वे उपयुक्त उच्च न्यायालय मे न्यायालय की अवमाना के लिये जिम्मेदार होगें- यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्देष न केवल धारा 498 - क,भा. द. सं. या. धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रकरणों को लागू होंगे बल्कि उन प्रकरणों को भी लागू होंगे जहां अपराध अर्थदंड के साथ - साथ या अर्थदंड के बिना, 7 वर्ष के कारावास से कम या 7 वर्ष के कारावास तक दंडनीय है।

-भावना विष्ट

इनका कहना है

पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। धीर-धीरे सभी थाने ऑनलाइन किये जा रहे हैं, पुलिस में भर्तियां भी हो रही है जिससे पुलिस बल की कमी दूर होगी। पुलिस का व्यवहार आम नागरिक के साथ कैसा हो इस पर सेमीनार हो रहे हैं। आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस द्वारा काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। पुलिस आधुनिकी करण एवं जवानों की मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म.प्र.पुलिस सही दिशा में अग्रसर है एवं म.प्र. सरकार व पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा इस दिशा में मार्ग निर्देशन प्रदान किये जा रहे हैं।

-आशुतोष प्रतापसिंह
(पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद)